प्रेस विज्ञप्ति
21/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अभय कुमार श्रीवास्तव, भूषणलाल बजाज, श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव पत्नी श्री अभय कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती अनीता बजाज पत्नी भूषण लाल बजाज से जुड़े एक बहुचर्चित धन शोधन मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई-21, राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आज दोषसिद्धि का फैसला सुनाया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अभय कुमार श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ अवैध रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। आरोप है कि बी.एल. बजाज ने भाटिया ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के जी.एस. भाटिया से अनुचित आधिकारिक लाभ के बदले में रिश्वत लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया। आरोपी चांदनी श्रीवास्तव ने श्रीमती अनीता बजाज के जाली पहचान दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके, उनके नाम पर बैंक खाता और लॉकर खुलवाया। बाद में, सीबीआई ने उक्त लॉकर से सोने की छड़ें तथा नकदी सहित चल संपत्ति जब्त की।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, ईडी ने अभय श्रीवास्तव से संबंधित 2,23,31,150/- रुपये की चल संपत्ति जब्त की और 31.03.2015 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के समक्ष अभय कुमार श्रीवास्तव, भूषण लाल बजाज, श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव और अनीता बजाज के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की।

1. **निर्णय में मुख्य निष्कर्ष:**

a) अपराध की आय की स्थापना (पीओसी): ईडी ने सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया कि जब श्री अभय कुमार श्रीवास्तव ने नाल्को द्वारा जारी कोयला आपूर्ति निविदा के संबंध में श्री भूषण लाल बजाज के माध्यम से अवैध भुगतान स्वीकार किया था, तब अवैध परितोषण उत्पन्न हुआ था।

b) आय को स्तरीकृत करना और छिपाना: अवैध धन को स्तरीकृत किया गया और सोने की छड़ों की खरीद के माध्यम से छिपाया गया, जिन्हें बैंक लॉकर में संग्रहीत किया गया था।

c) धन शोधन की कार्यप्रणाली: अदालत ने अभियुक्तों द्वारा अपनाई गई जटिल कार्यप्रणाली को स्वीकार किया। धन शोधन प्रक्रिया में श्रीमती अनीता बजाज के नाम से एक बेनामी बैंक लॉकर का उपयोग शामिल था, जिसे श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव ने जाली पहचान दस्तावेजों और छद्मवेश का उपयोग करके खोला और संचालित किया।

d) न्यायालय ने इस वैधानिक धारणा को स्वीकार कर लिया कि पी.ओ.सी. धन शोधन में संलिप्त थे तथा इसके विपरीत साबित करने का भार अभियुक्तों पर नहीं था।

2. यह ऐतिहासिक फैसला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाए गए एक सशक्त और व्यापक अभियोजन के बाद आया है। अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत तर्कों को बरकरार रखा और आपराधिक गतिविधियों और अवैध रूप से उत्पादित विदेशी मुद्रा (पीओसी) के शोधन के स्पष्ट पैटर्न की पुष्टि की।

3. ईडी अवैध वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है कि पीओसी के शोधन में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यह दोषसिद्धि पीएमएलए की प्रभावशीलता और आर्थिक अपराधों से निपटने में ईडी के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करती है।